

सहकारिता विभाग

CO-OPERATIVE DEPARTMENT, GOVT. OF BIHAR

अधिप्राप्ति हेतु गैर-रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

मेंपिता / पति का नाम.....

ग्राम.....पंचायत.....प्रखंड.....

जिला घोषणा करता / करती हूँ कि

मैंने अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर 2020 में धान की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत इस भूमि का रकवा..... एकड़ डिसमिल है। यह भूमि.....

..... ग्राम पंचायत में अवस्थित हैं।

इस भूमि पर क्विंटल धान होने की संभावना है जिसमें से..... क्विंटल सरकार की अधिप्राप्ति योजना में देना चाहता हूँ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है।

दिनांक-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

मोबाईल नं०:-